Title: Introduction of the Election Laws (Amendments) Bill, 1998.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is: "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951." The motion was adopted.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।
~ ----

* Published in the Gazettee of India Extraordinary Part-II-Section 2 dated 18.12.98